

प्रकरण सं० अनवान

Continuation Note Sheet

12-10-20

वादी द्वारा जखिरा वकालत प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादी व जखिरा वादियों का आपस में राजीनामा हो चुका है, प्रकरण को इसी स्टेज पर करिवल दफ्तर किया जावे।

वादी के निवेदन पर वाद का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तक मील जाकर करिवल अभिलेखागार हो।

(डि. मो. द. सिंह रतन)
उपबण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री. न. गा. नगर

वाद-प

मु० न०

पूर्वसम

नगान

S.K. # 1

जिला

S.K. # 2

जिला

S.K. # 3

जिला

S.K. # 4

जिला

S.K. # 5

जिला